हरजोजन आर्किड
उपयोगिता, अतिदोहन व संरक्षण की आवश्यकता

वन वर्धनिक पर्वतीय, नैनीताल उत्तराखण्ड

परिचय– आर्किड पादप जगत का अत्यंत सुंदर पुष्पीय पादप है। यह अपने विशेष आकार, आकृति व संरचना के आधार पर अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। एक विषेष गुण जो इन्हें अन्य पादपो से भिन्नता प्रदान करता है। वह है इनकी लम्बे समय तक जीवित रहने की क्षमता हैं। आर्किड आर्किडेसी परिवार के सदस्य हैं। आर्किड मुख्यतः सम– शीतोष्ण वनों से लेकर बुग्याली क्षेत्रों तक पाये जाते हैं। ये मुख्यतः अन्य पेडों अथवा चट्टानों पर(अधिपादप), जमीन पर (स्थलीय), मृत अथवा सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं। सम्पूर्ण विश्व में आर्किड की लगभग 27000 प्रजातियां हैं। जिसमें से लगभग 10000 हाइब्रिड प्रजातियां हैं। ये अटांर्कटिका को छोड़कर समस्त महाद्वीपों में मिलती हैं। स्थलीय आर्किड में जड़े कंदिल या भूमिगत होती हैं जबकि अधिपादप आर्किडों में वायवीय जड़े पाई जाती हैं। जो अत्यधिक विकसित होती हैं। अधिकांश आर्किडों में एकबीजपत्री पौधों की तरह संमातर सीरा वाली पत्तियां होती हैं। जैव विविधता से परिपूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में आर्किड की लगभग 237 प्रजातियां पाई जाती हैं। जिनमें से लगभग 55 प्रतिषत से अधिक 127 प्रजातियां उत्तराखण्ड के सूदूर जिले पिथौरागढ़ की गोरी घाटी क्षेत्र में पाई जाती हैं। निचले

Figure 1 गोरी घाटी के लुम्ती क्षेत्र में मौजूद हरजोजन आर्किड

घाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले अधिकांश आर्किड अधिपादप हैं जैसे बल्बोफायलम, डैन्डोबियम, एकेम्प, इरीडस, फोलीडाटा, सिम्बिडियम, इरिया, वैन्डा आदि। स्थानीय जनता इन आर्किड पादपों को **भालू का केला** व **हरजोजन** के नाम से जानते हैं।

वास्तव में हरजोजन आर्किड की एक प्रजाति **फोलीडाटा अरटिकुलाटा** है, जिसका उपयोग प्राचीन समय से ही टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। यह एक मध्यम आकार की खुशबूदार आर्किड प्रजाति है जो मुख्यतः भारत, चीन, वियतनाम, बर्मा, थाइलैंड में पाई जाती है। भारत में यह मुख्यतः आसाम, पूर्वी हिमालय, पष्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। आर्किड की यह अधिपादप प्रजाति समुद्र तल से 300 मी0 से 2000 मी0 की ऊँचाई तक गर्म घाटी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके पुष्पण का समय बंसत व ग्रीष्म ऋतु है। पुष्प जुलाई से अक्टूबर के मध्य खिलते हैं। पुष्प का आकार लगभग 1.25 से0मी0 तक होता है। ठंडे व गर्म दोनों ही तापमान में वृद्धि करने वाली यह प्रजाति अल्प छाया व प्रकाश पंसद करती है। उत्तराखण्ड के कुमाऊं क्षेत्र में फोलीडाटा प्रजाति की दो जातियां फोलीडाटा अरटिकुलाटा व फोलीडाटा इम्ब्रीकाटा पायी जाती है। यह दोनों ही प्रजातियां गोरी घाटी में पाई जाती हैं। फोलीडाटा अरटिकुलाटा मुख्यतः हरजोजन आर्किड के नाम से जानी जाती है।

उपयोग– हरजोजन के सम्पूर्ण पादप का उपयोग प्राचीन समय से ही लोक औषधि के रूप में किया जाता रहा है। सम्पूर्ण पादप को पीसकर एक पेस्ट तैयार किया जाता है जिसे भीगे हुए चावलों के पेस्ट में मिलाया जाता है। भलीभाँति मिले इस पेस्ट में कच्ची हल्दी का रस मिलाया जाता है। तथा

Figure 2 गोरी घाटी के लुम्ती क्षेत्र में मौजूद हरजोजन आर्किड

फिर थोड़ा सा गरम पानी मिलाकर उसे अच्छे से हिलाया जाता है इस प्रकार तैयार औषधि को टूटी हुई हड्डी के ऊपर लगाकर उसे सूती कपड़े से बाँध दिया जाता है। यह औषधि प्राचीन समय से ही स्थानीय लोगों के अनुसार अत्यंत कारगर साबित हुई है। कुछ अन्य जगहों पर इस आर्किड का उपयोग गोंद के रूप में भी किया जाता है। यह गोंद मुख्यतः कूटकदों से निकलता है।

हरजोजन व अन्य आर्किडों के अस्तित्व पर मंडराता खतरा– हरजोजन की उपयोगिता के लगातार प्रचलन में आने के कारण व गोरी घाटी में आर्किडों के प्रति बढ़ते रूझान के कारण आर्किड प्रजाति के अस्तित्व पर खतरा मंडराता जा रहा है। हरजोजन की संरचना के अन्य आर्किडों से मिलते जुलते होने के कारण समस्त आर्किड प्रजातियों पर खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय सूत्रों से संज्ञान में आया है कि कतिपय व्यापारियों द्वारा हर्बल एवं आयुर्वेदिक दवाइयों में प्रयोग किये जाने वाले इस हरजोजन नामक आर्किड का अवैध व्यापार किया जा रहा है जिसमें उनके द्वारा विभिन्न सोशल मिडिया माध्यमों जैसे फेसबुक इत्यादि के द्वारा इसके नमूने एवं मूल्य प्रति किग्रा 20000 रूपये दर्षाया गया है, जिससे इस बहुमूल्य औषधि युक्त दुर्लभ एवं महत्वपूर्ण प्रजाति के आर्किड के अवैध विदोहन की प्रबल संभावना है। इसे रोकने के लिए क्षेत्रीय जनता, पर्यावरणविदों, क्षेत्रीय वन प्रभागों के सावधान रहने व सक्रिय हेाने की नितांत आवष्यकता है। अन्यथा उत्तराखण्ड की गोरी घाटी में पाये जाने वाली उत्तराखण्ड की 55 प्रतिशत से अधिक आर्किड प्रजातियों का विदोहन कर उनके प्राकृतिक वास को आर्किड विहीन बनाने में समय नहीं लगेगा। यदि कोई अनाधिकृत एवं विदोहन करने वाले व्यक्ति पाये जाते हैं तो उनके विरूद्ध वन अधिनियम एवं आई0पी0सी0 की सुशंगत धाराओं में अपराध दर्ज कर दण्डित करने की कार्यवाही अमल में लाई जानी नितांत आवश्यक है।